GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3871
TO BE ANSWERED ON 11TH AUGUST, 2023

"WARD ENTITLEMENT OF CGHS PENSIONERS"

3871. DR. CHANDRA SEN JADON:
SHRI TIRATH SINGH RAWAT:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Government has recently revised the 'Ward Entitlement' of the employees, pensioners and family pensioners under CGHS in October, 2022 on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, if so, the details thereof;

(b) whether it has come to the notice of the Government that a lot of pensioners and family pensioners are facing problems and are denied revised entitlement by the empanelled hospitals;

(c) if so, the details thereof and the number of complaints received in this regard, State/UT-wise particularly in the NCT of Delhi;

(d) whether a large number of pending CGHS plastic cards need to be delivered to the beneficiaries on account of revision of ward entitlement and if so, the details thereof along with the time by which all such pendency shall becleared;

(e) whether CGHS beneficiaries are not delivered CGHS Cards with revised entitled and if so, the details thereof along with the steps taken against the erring officers responsible for delayed delivery of plastic cards to the CGHS beneficiaries; and

(f) whether the Government has issued/proposed to issue clarification with regard to revised ward entitlement particularly in respect for CGHS pensioner beneficiaries and if so, the details thereof?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (f): The ward entitlement of CGHS beneficiaries were revised vide OM No. S.11011/1/2016-CGHS(P)/EHS dated the 28th October, 2022, in partial modification of the earlier OM of even No dated 09.01.2017, as per the details given below:

Corresponding Basic Pay drwan by Officer in 7th CPC per month	Ward entitelment
Upto Rs. 36,500	General
Rs. 36,501 to Rs 50,500	Semi-private
Above Rs. 50,500	Private

https://www.govtstaff.com

Ward updation in respect of eligible beneficiaries is made, as and when, the applications are received. The applications for new CGHS cards and the applications for revision of Cards are processed on first come first serve basis. CGHS beneficiaries are issued a printed Index Card of revised ward entitlement, immediately. The beneficiaries have the option to download e-CGHS card through their online CGHS account.

A clarification vide MoHFW OM S.11011/1/2016-CGHS(P)/EHS dated 22.11.2022, was issued pursuant to MoHFW OM dated 28.10.2022.

****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3871

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस पेशनभोगियों की वार्ड की पात्रता

3871. डॉ. चन्द्र सेन जादौन:
श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अक्तूबर, 2022 में सीजीएचएस के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों की वार्ड पात्रता में हाल ही में संशोधन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा संशोधित पात्रता से वंचित रखा जा रहा है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या वार्ड पात्रता में संशोधन के कारण लाभार्थियों को बड़ी संख्या में लंबित सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड वितरित किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी लंबित मामलों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार ने विशेष रूप से सीजीएचएस लाभार्थियों को संशोधित पात्रता के साथ सीजीएचएस कार्ड नहीं दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्लास्टिक कार्ड देने में विलम्ब के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने संशोधित वार्ड पात्रता के साथ विशेष रूप से सीजीएचएस पेंशनभोगियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया है/ जारी करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): सीजीएचएस लाभार्थियों की वार्ड पात्रता दिनांक 09.01.2017 के पूर्व समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के आंशिक संशोधन में दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं.एस.11011/1/2016- सीजीएचएस(पी)/ ईएचएस द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार संशोधित की गई थी:-

https://www.govtstaff.com

7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरुप अधिकारी प्रति माह आहरित बेसिक पे	वार्ड पात्रता
36,500 रुपए तक	जनरल
36,501 रुपए से 50, 500 तक	सेमी-प्राइवेट प्राइवेट
50, 500 से अधिक	प्राइवेट

आवेदन प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों के संबंध में वार्ड पात्रता अद्यतन की जाती है। नए सीजीएचएस कार्ड संबंधी आवेदनों तथा कार्यों में संशोधन संबंधी आवेदनों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर कार्रवाई की जाती है। सीजीएचएस लाभार्थी को संशोधित वार्ड पात्रता का प्रिटेंड इंडेक्स कार्ड तुरंत जारी किया जाता है। लाभार्थी अपने ऑन-लाइन सीजीएचएस अकाउंट के माध्यम से भी ई-सीजीएचएस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिनांक 28.10.2022 के का. ज्ञा. के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 22.11.2022 के का. ज्ञा. सं. एस. 1011/1/2016-सीजीएचएस(पी)/ईएच एस के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

*****

https://www.govtstaff.com